दिनांक 22.09.17

परिवादी अजय खुरासिया सहित अधिवक्ता श्री ओ०पी० शर्मा द्वारा उपस्थित होकर एक शीघ्र सुनवई आवेदन पत्र राजीनामा बावत् प्रस्तुत किया। प्रकरण सुनवाई में लिया गया।

अमियुक्त बहादुरसिंह सहित अधिवक्ता श्री जीoएसo निगम एवं श्री बीoआरo चौरसिया उपा।

अमियुक्त के गिरा वारंट का आदेश है। अतः उसे अमिस्सा में लिया जावे।

उमयपक्षों द्वारा हस्ताक्षरित, परिवादी के छायाचित्र युक्त राजीनामा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 147 एन०आई० एक्ट प्रस्तुत किया गया। परिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री ओ०पी० शर्मा एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री जी०एस० निगम द्वारा की गयी।

उमयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

परिवादी ने राजीनामा आवेदन के माध्यम से निवेदन किया है कि उसने अभियुक्त के साथ चैक 15 हजार रूपये के संबंध में राजीनामा कर लिया है और उक्त राशि परिवादी ने प्राप्त कर ली है। इस कारण से राजीनामा करना चाहते हैं। अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोम-लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

2 2 4 4 col-

-138—Forms—23-7-16—4,00,000 Forms.



Order Sheet [Contd]

Case No. . 67. 1. 1.0620 . . जुद्ती

Date of Order or Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Pleaders where necessary

अमियुक्त पर धारा 138 एन०आई० एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग हैं जो कि न्यायालय की अनुमति से शमनीय हैं। विक है। विक 3 9580 10

कि विकास करते हैं कि उन्होंने हैं के लिए हैं है से सामग्र

1807 तीन न्याय मूर्ति गण की पीठ के मामले में समझौते पर निम्नानुसार परिव्यय लगाने के निर्देश दिये हैं :
1. यदि अभियुक्त प्रकरण का सूचना पत्र मिलने के बाद पहली या दूसरी) 500 कोई सुनवाई पर समझौता आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब उस पर कोई कोई 200 परिव्यय नहीं लगाया जायेगा।

2. यदि अभियुक्त पहली या दूसरी सनवाई तिथि के बाद किनाजण न्यायदृष्टात दामोदर एस.प्रमु विकक् नीवर बाबा लाल ए.आई.आर 2010 एन.सी.

यदि अमियुक्त पहली या दूसरी सुनवाई तिथि के बाद विचारण न्यायालय में समझौता आवेदन लगाता है तो उस पर चैक की राशि का दस प्रतिशत परिव्यय लगाया जा सकेगा।

उक्त परिव्यय जिसास्तर के न्यायालय पर समझौता होता है वहां के विभिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाना होता है। लेकिन न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कारण लिखते हुए उक्त परिव्यय कम कर सकती है।

उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में इस प्रकरण को देखने से यह दर्शित है कि प्रकरण दिनांक 31.08.13 को पंजीबद्ध हुआ जिसमें अभियुक्त उपस्थित हो गया। उसकी उपस्थिति में साक्ष्य ली गयी। परिवादी की शेष साक्ष्य के पूर्व प्नः अभियुक्त अनुपस्थित हो गया। प्रकरण में उक्त राशि 15 हजार रूपये वे संबंध में परिवादी लगमग 4 वर्ष से उक्त राशि के उपयोग व उपमोग से वंचित रहा है। ऐसी दशा में चैक राशि के दस प्रतिशत परिव्यय के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए तो राजीनामा स्वीकार किया जावे।

परिवादी ने बिना किसी भय, दबाव, लोम लालच के खेच्छा राजीनामा किया जाना बताया है। परिवादी संविदा समर्थ होकर अपनी स्वतंत्र सहमिति देने में समर्थ दर्शित है।

अमियुक्त के द्वारा जमानत की शर्तों का मंग किए जाने से प्रकरण के निराकरण को देखते हुए 400 रूपये मुचलका जब्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त राशि जमा करने के उपरांत प्रकरण थोडी देर बाद पेश हो।

Compa) and Judicial Magistrate First Class Growad distt. Brind (M.P.)

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer e of ror eding पुनश्च पक्षकार पूर्ववत। अमियुक्त के द्वारा रसीद कमांक 04 बुक कमांक 6886 पर 1500 रूपये जमा कर रसीद प्रस्तुत की। धारा 147 एन0आई0 एक्ट के अधीन राजीनामा स्वीकार किए जाने हेतु न्यायोचित आधार हैं। अत बाद तस्दीक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त बहादुरसिंह पुत्र परमानंदसिंह को चैक क0 285985 दिनांक 01.03.2013 राशि 15 हजार रूपये के संबंध में धारा 138 एन0आई0 एक्ट के आरोप से राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है। अमियुक्त के द्वारा रसीद क0 66 बुक क0 6905 पर मुचलका जब्दी राशि चार सौ रूपये जमा की। मीयाय समाने के निर्वेश लिख हैं -अमियुक्त को मुक्त किया जावे। एउस क एएकर का एमिछ जीए आगामी दिनांक निरस्त की जाती है। एवकार किसमूह प्रा हे। हो हम् का प्रकरण का परिणाम सुसंगत अमिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा के जार के जीन अवंदन जगाता है तो उस पर चंक की गोंद्र कि गर समझीला होता है वहां के विभन्न Judicial Magisprate First Class TRUST TO TEST PROPERTY TREATS Golian distr. ना शाहाकरण ने जमा उक्काम अन प्र प्रतिश्वितियों में कारण तिस्वते हुए उन्नत परिवाद का कर सकती ह नेपरीया नायाः प्राप्तः क प्रकार स इस प्रकार्य क प्राप्तः प्रमान के इस्मीतः अध्या स्थाति ॥ १६ १६ को भीवा हुआ जित्ता अभियुक्त अभीवा हो मूह हम का मान्यात में साव्य ला गया। पांच्यादी की शेष साम्या क प्रति पुन मियुवत अनुपरिशत हो गया। प्रकरण में चलतं गिरि .. हजार कार्य हों है प्रतिवाही लगमग्र । वर्ष त तवत राहि क व्यवंग व स्थापा सं बंदित हो। एसी दशा में बेक सांश के दस प्रतिसत परिवाय के अप में जिला विभान च्या अच्याः तो गाजीनामा स्त्रोकार किया जादे।